निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **54** वर्ष **2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण वभाग, ऋ षकेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण वभाग, ऋ षकेश के माह दिसम्बर 2016 से नवम्बर 2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो अनिल शर्मा(29/11/2017 से 8/12/2017 एवं श्री राजेश कुमार सन्हा (04 दिसम्बर 2017 से 12 दिसम्बर 2017), सहायक लेखा परीक्षा अ धकारिओ एवं श्री सत्यबीर संह, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2017 से 11 दिसम्बर 2017 एवं श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अ धकारी के अंशका लक पर्यवेक्षण दिनांक 29 नवम्बर 2017 एवं 11 दिसम्बर 2017 तक में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री आर एन यादव एवं श्री अ मत कुमार टंडन, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियो द्वारा दिनांक 07.12.2016 से 27.12.2016 तक श्री वी एस पँवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह अगस्त 2015 से नवम्बर 2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह दिसम्बर 2016 से नवम्बर 2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

(ii) (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः अंतर्गत डोईवाला वधान सभा क्षेत्र,रायपुर वधानसभा क्षेत्र एवं ऋ षकेश वधान सभा क्षेत्र(आं शक) के अंतर्गत आने वाले मार्गो का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य

(iii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	शून्य	शून्य	5037.54	5044.49	807.46	807.45	6.94	
2016-17	शून्य	शून्य	4214.58	4214.36	442.54	442.55		0.21
2017-18	शून्य	शून्य	3165.60	2911.66	482.66	448.64		287.97

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय वंवरण निम्नवत हैः शून्य

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
	शून्य				

(iv) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई अ श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव

↓

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष

↓

मुख्य अ भयन्ता (स्तर-I), मुख्यालय, देहरादून

↓

अधीक्षण अ भयन्ता (नवां वृत), नैनीताल

↓

अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खण्ड,लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण वभाग, ऋ षकेश के माह माह दिसम्बर 2016 से नवम्बर 2017 तक कए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा की गयी थी और अ धक व्यय वाले माह तथा अ धक व्यय वाले पूर्ण कए गए कार्यो को आच्छादित कया गया। आहरण एवं वतरण अ धकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण वभाग, ऋ षकेश की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह अगस्त 2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। नाबार्ड योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के वधान सभा क्षेत्र में खेरी मोटर मार्ग के चौडीकरण तथा बीएम/एसडीबीसी के द्वारा निर्माण कार्य को वस्तृत वश्लेषण हेतु चयन कया गया। कार्य चयन कार्य की पूर्णता एवं उसपर कए गए माह नवम्बर 2016 से नवम्बर 2017 के दौरान कए गए व्यय के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में 16 मार्च 2017 से 18 मार्च 2017 तक एक बार निरीक्षण कया गया था।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी माह 09/2016 एवं 09/2017 तक की गई।

4. फार्म 51: माह अक्तूबर 2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम रु. 2,48,80,535.00

भाग द् वतीय रु. 68,781.50

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह अक्तूबर 2016 के अन्त में

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम	रु. 86,95,120.11
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	रु. 11,52,15,754.25
(ङ)	भण्डार	रु. (-)31,52,300.52

भाग-II 'ब'

प्रस्तर- (1) मानक के अनुरूप कार्य का सम्पादन ना होना- **रु.**95.04 लाख

उत्तराखंड शासन के शासनादेश 98/**II (3) /13-10**(एसपीए)/13 दिनांक **18** मार्च 2013 के द्वारा जनपद देहरादून के धर्मपुर क्षेत्र में मोथरोवाला से दूधली होते हुए डोईवाला तक मोटर मार्ग के 16.375 कमी लंबाई में दो लेन में चौडीकरण कार्य के लए **रु 1057.08** लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य सम्पादन के लए उतनी ही लंबाई और उतनी ही रा श के लए प्रा व धकी स्वीकृति 26 सतंबर 2013 को मुख्य अ भयंता 9वा वृत, लोक निर्माण वभाग, देहरादून द्वारा प्रदान की गयी थी। **Details of Measurement** के अनुसार प्रश्नगत मार्ग के चौडीकरण का कार्य सीमेंट कंक्रीट **(rigid pavement)** एवं बिटु मन **(flexible pavement)** से क्रमश: 2.850 कमी तथा 6.100 कमी में कया जाना प्रस्ता वत था।

उपरोक्त कार्य के अंतर्गत डीबीएम/बीसी से मार्ग के निर्माण एवं चौडीकरण के लए प्राक्क लत रा श **रु 652.61** लाख के सापेक्ष **रु 515.29** लाख में नि वदा अधीक्षण स्तर से 22 जनवरी 2014 को अनुबंध[1] गठित की गयी थी। अनुबंध के अनुसार कार्य की प्रारम्भ एवं समापन की ति थ क्रमश:22 जनवरी 2014 और 21जनवरी 2015 थी। कार्य की अन्तिम वास्त वक मापी 1 जुलाई 2015 को ली गयी थी और देयक संख्या संख्या 13 दिनांक 5 दिसम्बर 2015 के द्वारा अन्तिम भुगतान (**रु 551.59** लाख) कया गया था।

खंड द्वारा इस अनुबंध की माप-पुस्तिका लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण वास्त वक लम्बाई जिसमे कार्य कराई गयी थी का **calculation** नहीं कया जा सका था परंतु खण्ड द्वारा दिये गए उत्तर से ज्ञात होता है क प्राक्क लत 6150 मीटर के आपेक्ष 6525 मीटर में कार्य कराया गया था। खण्ड द्वारा कार्य सम्पादन से संबन्धित आंकड़ो से ज्ञात होता है क मार्ग के चौडीकरण वाले भाग में कार्य अ भकल्पन के अनुसार संपादित कराई गयी थी और **pavement** की मोटाई 540**mm** भी प्राप्त की गयी थी परन्तु मार्ग के **existing** भाग के 1729 मीटर एवं 4796 मीटर मार्ग की मोटाई क्रमश: 515**mm** एवं 440**mm** प्राप्त की गयी थी जो क अ भकल्पन एवं **consultancy** के अनुसार दिये गए मोटाई से क्रमश: 25**mm** एवं 100**mm** कम था जो निम्न प्रकार से था।

उप-कार्य का नाम	consultant	Details of measurement		As per actual execution		
		widening	existing	Widening in 6525mtr	existing	
					4796 mtr	1729 mtr
Sub-base-(G-1)	200 mm	225mm	350mm	225mm	350mm	350mm
Base course -(G-2) and (G-3)						
WBM(45-63mm) -(G-2)	250 mm	150mm		150mm		
WBM(22.4-53mm)-(G-3)		75mm	75mm	75mm	0.00	75mm
Total thickness of(G-2) and (G-3)	**450mm**	**450mm**	**425mm**	**450mm**	**350mm**	**425mm**
DBM (length /breadth)	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
BC (entire length/ breadth)	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm	40mm
Total thickness	**540mm**	**540mm**	**515mm**	**540mm**	**440mm**	**515mm**

[1] अनुबंध संख्या 32/एसई-9/2013-14 दिनांक 22 जनवरी 2014 for Bitumin pavement

उपरोक्त तथ्य को वश्लेषण करने पर यह पाया गया क मार्ग के वास्त वक लम्बाई 6525 मीटर में से 6380 मीटर में **DBM/BC** का कार्य संपादित कराया और इस प्रकार, **existing** भाग के 4651[2]मीटर में डीबीएम/बीसी का कार्य बिना जी-3 (डबल्यूबीएम-22.4-53**mm)** बिछाये ही संपादित करा दिया गया था जिसके कारण मार्ग का कार्य मानक के अनुरूप संपादित नहीं कया जा सका था और इस प्रकार, **existing** भाग के 4651मीटर में **रु** 9504411.00 में बीसी/डीबीएम का कार्य अधोमानक था जिसका ववरण नीचे सारणीबद्ध है।

Item	length	Width	thickness	quantity	Rate	Amount	Calculation for width of the exiting part of road in meter				
DBM	4651	3.10	0.05	720.905	6200	4469611	Total breadth		width of widening portion		width of existing portion
BC	4651	3.10	0.04	576.724	8730	5034800	Range	Average	Range	Average	Average
Total						9504411	6.80 -7.00	6.90	2(1.80-2.00)	3.80	3.10

उपरोक्त परिपेक्ष्य में खंड से लेखा परीक्षा अवलोकन के द्वारा यह पूछा गया था क कन कारणो से **WBM(22.4-53mm)** की कम मात्रा में प्रयोग कया गया था जिसके उत्तर में खंड द्वारा बतलाया गया क 1729 मीटर के पूर्ण चौड़ाई में ही बिछाया एवं इन भागो में पूर्व में ही हॉट-मक्स का कार्य नहीं करवाया गया था। अवशेष लंबाई पूर्व में हॉट-मक्स कार्य करवाया गया था एवं सड़क सतह सुगम यातायात हेतु उपलब्ध थी।

खंड का उत्तर और उपलब्ध कराये गए आंकड़े यह इंगत करते है क 4651 मीटर में **WBM(22.4-53mm)** कार्य नहीं कराया गया था जिसके कारण **pavement** की **designed** मोटाई 540**mm** के सापेक्ष इस लम्बाई में मात्र 440**mm** की मोटाई ही प्राप्त की गयी थी जिसके कारण इस लम्बाई में बिछाये गए डीबीएम/बीसी का कार्य मानक के अनुसार नहीं था और फलस्वरूप कार्य अधोमानक हुआ था। पुनः खंड का यह कहना क अवशेष लंबाई पूर्व में हॉट-मक्स कार्य करवाया गया था एवं सड़क सतह सुगम यातायात हेतु उपलब्ध थी तो फर इस लम्बाई पर डीबीएम/बीसी से कार्य करवाया जाने की आवश्यकता नहीं थी।

प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

[2] 4796 मीटर-(6525मीटर-6380मीटर)=4796 मीटर-145 मीटर=4651 मीटर

भाग 2 ब

प्रस्तर 2: 'रोड कटिंग चार्जेस""से प्राप्त धनराशि 2.84 करोड़ को राजस्व शीर्ष में जमा न किया जाना।

Paragraph 21 of UP Financial Hand Book volume-V Part I and paragraph 81 and 82(iii) of उत्तराखंड budget manual lays down that the departmental authority are required to see whether all revenue receipts due to Government are correctly and properly assessed and credited into Government account without undue delay. Such receipts shall not be utilised towards departmental expenditure without proper authorisation by the Government.

लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गए मोटर मार्गों पर यदि कोई सरकारी प्राइवेट संस्थान जैसे जल / निगम, दूरसंचार की कंपनी आदि के द्वारा मोटर मार्गों पर केबल पाइप लाइन बिछाने के लिए मोटर मार्गों पर जो कटिंग का कार्य किया जाता है, उसके एवज में मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में धनराशि संबन्धित विभाग दुवारा खण्ड को प्रदान की जाती है।

अधिशासी अभियन्ता,अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खण्ड को दिसम्बर -2008 से दिसम्बर -2015 के मध्य विभिन्न खण्ड संस्थानों द्वारा 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में रुपए 2,84,49,352 की धनराशि प्रदान की गयी थी जिसे निक्षेप पंजिका मद-8443 सिविल डिपॉज़िट के रूप में रख कर उक्त कार्यो व्यय किया जा रहा है। अभिलेखों मे पाया गया की मार्गो पर अन्य विभागो से मार्ग मरम्मत कराने हेतु प्राप्त 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में प्राप्त धनराशि को वित्तीय नियमानुसार इस को मद -0059 मे जमा कि गया है इसके विपरित खण्ड द्वारा अन्य कार्यो/ मरम्मत पर किया जोकि वित्तीय नियम व बजट मेनुयल के अनुसार नहीं है।

लेखा परीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया की रोड कटिंग चार्ज के रूप में प्राप्त धनराशि को निक्षेप पंजिका के पार्ट –III में रखा जाता है। जिसकी DCLप्राप्त कर रोड कटिंग से खराब की गई सतह को ठीक किया जाता है।

खंड के उत्तर से स्वतः ही स्पष्ट है कि खंड द्वारा प्राप्त धनराशि को शासकीय लेखों में जमा न कर वित्तीय नियमो के विपरीत व्यय किया गया

अतः रोड कटिंग चार्जेस""से प्राप्त धनराशि 2.84 करोड़ को राजस्व शीर्ष में जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-**II** (ब)

प्रस्तर-3 मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराने के साथ-साथ कार्य का अपूर्ण रहना:- ` 192.24 लाख

उत्तराखंड शासन के शासनादेश 98/**II (3) /13-10**(एसपीए)/13 दिनांक **18** मार्च 2013 के द्वारा जनपद देहरादून के धर्मपुर क्षेत्र में मोथरोवाला से दूधली होते हुए डोईवाला तक मोटर मार्ग के 16.375 कमी लंबाई में दो लेन में चौडीकरण कार्य के लए रु **1057.08** लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य सम्पादन के लए उतनी ही लंबाई और उतनी ही रा श के लए प्रा व धकी स्वीकृति 26 सतंबर 2013 को मुख्य अ भयंता 9वा वृत, लोक निर्माण वभाग, देहरादून द्वारा प्रदान की गयी थी। **Details of Measurement** के अनुसार प्रश्नगत मार्ग के चौडीकरण का कार्य सीमेंट कंक्रीट एवं बिटु मन से क्रमश: 2.850 कमी तथा 6.100 कमी में कया जाना प्रस्ता वत था। तदनानुसार खंड द्वारा सीमेंट कंक्रीट से कार्य कराये जाने हेतु क्रमश: प्राक्क लत रा श रु 361.14 लाख के सापेक्ष रु 287.09 लाख[3] के अनुबंध का गठन न्यूनतम नि वदादाता के साथ कया गया था। अन्तिम देयक संख्या 2 दिनांक 2 जून 2017 के अनुसार, सीमेंट कंक्रीट कार्य पर रु 192.24 लाख की रा श व्यय की जा चुकी थी। अनुबंध के अनुसार कार्य की प्रारम्भ एवं समापन की ति थ क्रमश:13 दिसम्बर 2014 और 3 जून 2014 थी।

मार्ग के **Pavement / crust** की डज़ाइन **CBR- 9 and 10%** एवं **MSA-10** के आधार पर आईआरसी-37-2001 के प्रावधानों के अंतर्गत **Pragati Geotech Consultant** के द्वारा तैयार कया गया था जिसके अनुसार **cement concrete and Bituminous pavement** की **thickness** का ववरण निम्न प्रकार से थे।

उप-कार्य का नाम	व शष्टि
CC-M-40टॉपकोट	**250 mm** (पूर्ण चौड़ाई में)
WBM(22.4 -53)	**75 mm** (पूर्ण चौड़ाई में)
WBM(45-63)	**75 mm**
GSB	120**mm**
Total thickness	**520mm**

***Note: As per project report prepare*d by Pragati Consultant**

इस कार्य के अ भलेखों से ज्ञात होता है क संबन्धित ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कया गया था और अनुबंध को अपूर्ण कार्य की अवस्था में ही वत्तीय रूप से अपूर्ण कार्य पर 10 प्रतिशत का अर्थ-दण्ड रो पत कर अंति मकरण कर दिया गया था। प्राक्कलन और अन्तिम देयक के मात्राओ के वश्लेषण से यह ज्ञात होता है क **GSB** एवं **WBM(45-63mm)** को छोड़कर **WBM (22.4-53)** एव **CC (M-40)** का कार्य क्रमश: 51.26 प्रतिशत एवं 34.00 प्रतिशत कम कराया गया था जो यह सद्ध करता है क लगभग पूर्णता में कए गए **GSB** एवं **WBM(45-63mm)** के कार्य उपरांत चौड़ीकृत कए जाने वाले मार्ग के आधे भाग में ही चौडीकरण का कार्य कया गया था। इस प्रकार, **GSB** एवं WBM

[3]अनुबंध संख्या 32/एसई-9/2013-14 दिनांक 13 फ़रवरी 2014 for cement concrete pavement

(45-63) का कार्य कया गया था, पर WBM (22.4 -53) एवं CC का कार्य नहीं कराया गया था जिसकी लंबाई details of measurement में प्रावधानित लंबाई 2850 मीटर से 966.33 मीटर कम है। **Incomplete work** के अंतिम देयक से यह भी ज्ञात होता है क मार्ग का पूर्ण रूप से चौडीकरण नहीं कराये जाने के पीछे मूल कारण वन वभाग एवं वद्युत वभाग द्वारा क्रमश: पेड़ो को काटने तथा वद्युत पोलों को हटाये जाने की अनुमति नहीं देना है जब क कार्य प्रारम्भ कए जाने के पूर्व ही इन अवरोधो का निराकरन कर लया जाना चाहिए था। पुनः यह भी पाया गया था क details of measurement में WBM(22.4-53) एवं CC(M-40) की प्रावधानित मात्रा 1496.25 घनमीटर एवं 4987.50 घनमीटर के सापेक्ष क्रमश: 729.27 घनमीटर एवं 3296.42 घनमीटर में कराई गयी थी। खंड द्वारा लेखा परीक्षा अवलोकन के उत्तर में बताया गया था क वास्त वक लम्बाई 2796.45 मीटर के सापेक्ष GSB, WBM (45-63mm), WBM (22.4-53mm) मार्ग के चौड़ीकृत वाले भाग के पूर्ण लम्बाई ले कन **CC(M-40)** का कार्य वास्त वक लम्बाई 2796.45 मीटर के सापेक्ष 1952.00 मीटर लम्बाई एवं 07 मीटर चौड़ाई में कराया गया था। इस प्रकार, शेष लम्बाई 844.45 मीटर में **CC(M-40)** का कार्य अपूर्ण है। पुनः मार्ग के **existing** भाग में **CC(M-40)** का कार्य, मार्ग के अ भकल्पन के अनुसार बिना **G-3** यथा WBM(22.4-53) बिछाये संपादित कराई गयी थी।

इस ओर इं गत कए जाने पर, खण्ड द्वारा यह बतलाया गया क **existing** भाग में पूर्व से ही 300mm की मोटाई में ही CC से नि र्मत थी और मार्ग के दोनों ओर चौडीकरण वाले भाग में 27mm का trench खोदकर मार्ग की चौड़ाई बढ़ाई गयी थी। तत्पश्चात, मार्ग के पूर्ण चौड़ाई में 250 mm में **CC(M-40)** का कार्य कराया गया था जिससे क मार्ग के **existing** एवं चौड़ीकृत वाले भाग पर **crust** की **thickness** क्रमश: 550**mm** एवं 520 **mm** प्राप्त की गयी थी।

खण्ड का उत्तर स्वयं में यह स्वीकारोक्ति है क मार्ग के पूर्ण चौड़ाई में मार्ग की मोटाई की अलग-अलग है और कार्य अ भकल्पन के अनुसार संपादित नहीं कए जाने के साथ-साथ कार्य भी अपूर्ण थी।

इस प्रकार `192.24 लाख के व्यय के बाद भी कार्य अपूर्ण रहने के साथ-साथ मानक के अनुसार संपादित नहीं कराया गया था।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर			
	भाग-2अ	कुल	भाग-2ब	कुल
75/1998-99	-	-	1	1
48/1999-2000	1	1	1	1
115/2000-01	1	1	1	1
43/01-02	-	-	1	1
18/03-04	1 2	2	1	1
42/04-05	-	-	1	1
31/05-06	-	-	1 2 3	3
04/06-07	-	-	1 2	2
27/07-08	1	1	1 2	2
63/08-09	-	-	1 2	2
53/10-11	1 2 3	3	-	-
94/11-12	1	1	1 2 3	3
59/13-14	1	1	1	1
07/2014-15	-	-	1 2 3	3
55/2015-16	-	-	1 2 3 4 5	5
कुल		**10**		**27**

Note:- Kindly check the details of outstanding paras from headquarters' record.

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	अनिस्तारित प्रस्तरों को उच्च अधिकारिओकी संस्तुति हेतु प्रस्तुत किया ज्ञ है संस्तुति उपरांत कार्यालय महालेखाकार को पृथक से प्रेषित का दिया जाएगा।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य:- ऐसा कोई कार्य अवलो कत नहीं हुआ था।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण वभाग ऋ षकेश, तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   माप-पुस्तिका संख्या-306

2. सतत् अनिय मतताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धशासी अ भयन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
	श्री बलराम मश्रा	अ धशासी अ भयन्ता	वगतलेखा परीक्षा से वर्तमान तक

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

   1.श्री संजीव कुमार नेगी वगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण वभाग ऋ षकेश, को इस आशय से प्रे षत है क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड,कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑ फस-कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

लेखापरीक्षा दल संख्या-**04**

श वर-ऋ षकेश